भागलपुर।
भागलपुर नगर निगम

कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

स्वामी विवेकानंद पथ, Website- bhagalpurnagarnigam.in
कचहरी कैम्पस, e-mail- nagarnigambhagalpur@gmail.com
Phone no - 0641-2302035

सूचना

नगर निगम, भागलपुर से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना होर्डिंग लगाना अवैध है। इस संबंध में विभिन्न होर्डिंग व्यवसायियों के साथ कई बार बैठक की गयी। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में निगम से अनुमति प्राप्त किए बिना होर्डिंग नहीं लगाया जाए। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि नगर निगम से बिना अनुमति प्राप्त किए व्यवसायियों द्वारा होर्डिंग, बोर्ड, स्तम्भ, छतरी, संचालन प्रचार पटल, नियान चित्र, आकाश चित्रण लगाया जा रहा है, जो गैर कानूनी है।

सभी संबंधित को इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि तीन दिनों के अंदर निर्धारित शुल्क जमा कर नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर लें। होर्डिंग संचालक लगाये गए होर्डिंग पर अपना नाम लिखना सुनिश्चित करें। अन्यथा बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

यह अंतिम सूचना है। इसके बाद कोई नोटिस नहीं दी जाएगी तथा अब इसके पश्चात् नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 151 एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ह0/–

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

ज्ञापांक 2740 / भा0न0नि0, दिनांक 22/07/2015

प्रतिलिपि– सभी होर्डिंग व्यावसायियों/सभी कोचिंग संचालक/संबंधित प्रतिष्ठान/सिनेमा हॉल संचालक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/प्रभात खबर को सूचनार्थ एवं एक दिन न्यूनतम पठ्नीय आकार में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 सेल को नगर निगम, भागलपुर के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22/07

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

Error! No bookmark name given.